

प्राथमिक शिक्षा में नवाचार

हर्षवर्धन

शोध छात्र, शिक्षा विभाग (शिक्षा विद्यापीठ), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा, महाराष्ट्र-442001. ई-मेल. harsh20692@gmail.com

Paper Received On: 25 MAR 2021

Peer Reviewed On: 30 MAR 2021

Published On: 1 APRIL 2021

Abstract

प्रस्तुत शोध लेख विभिन्न साहित्य की समीक्षा के आधार पर लिखा गया है। इस शोध पत्र में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन किया गया है तथा इन समस्याओं का समाधान करने एवं शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जिन नवाचारों (जैसे- बाल संसद, अभिनव युक्त शिक्षण, छात्र प्रोफाइल, खेल-खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सरल अंग्रेजी माध्यम एवं कान्सैट मैपिंग आदि) का प्रयोग वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में किया जा रहा है उसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। नवाचार से आशय कम से कम खर्च पर विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर शिक्षा में गुणवत्ता लाना है एवं शिक्षक-छात्र के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का सृजन एवं शिक्षा को रुचिकर एवं सरल बनाकर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना है।

मुख्य बिन्दु- प्राथमिक शिक्षा, समस्याएँ, नवाचार



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तवना- प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार है। यह एक ऐसे प्रकाश की तरह है जिससे बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। बालक के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य योगदान होता है। यही वह प्रथम सोपान है जिसकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र प्रगति के शिखर पर आसीन तब तक नहीं हो सकता है जब तक वह प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था न कर ले (विकास पीडिया, 2020)। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि शिक्षा के गिरते स्तर का क्या कारण है? तो वह इसके लिए कई कारण बता सकता है। सवाल यह नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है सवाल यह है कि क्या हम हमेशा समस्या की ही बात करते रहेंगे? यदि हम सिर्फ समस्या की बात करते रहेंगे तो इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इसके समाधान की बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस समस्या को हमने चिन्हित किया है उसका समाधान भी हम स्वयं कर सकते हैं। वर्तमान समय

में एक सामान्य व्यक्ति की यह अवधारणा बन गई है कि सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी कभी उन्नति के उत्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनना होगा। नेतृत्व करने का कार्य केवल शिक्षक का ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें समाज के सभी सदस्यों का सहयोग होना आवश्यक है। बिना इनकी सहायता के शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकती है। शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती है बल्कि यह समाज के प्रत्येक पहलू में विद्यमान है (शाला सारथी, 2021)।

सन् 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा योजना' प्रस्तुत की गयी थी जिसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी एवं उनके साथियों ने इसके लिए मातृभाषा एवं हस्तकौशल प्रधान पाठ्यचर्या तैयार किया और इसका संबंध जीवन से जोड़ा। तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा। आगे चलकर इसे दो भागों में विभाजित किया गया- निम्न प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। हमारे संविधान की धारा-45 में यह घोषणा की गई थी कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अनुसार भारतीय शिक्षा की वर्तमान संरचना 10+2+3 है और इसकी प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या को तीन भागों में विभाजित किया गया है- कक्षा-1 से 5 तक प्राथमिक, कक्षा-6 से 8 तक उच्च प्राथमिक, कक्षा-9 तथा 10 माध्यमिक और +2 अर्थात् कक्षा 11 तथा 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है। स्पष्ट है कि इस समय हमारे देश में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा-1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है (लाल, 2016)। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा की संरचना 5+3+3+4 प्रस्तावित की गई है। प्रथम 5 वर्ष की शिक्षा को आधारभूत, 3 वर्ष प्रारंभिक चरण, 3 वर्ष मध्य चरण एवं 4 वर्ष माध्यमिक चरण कहा गया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम- 2002 द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 21(क) को मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है (मौर्य एवं अन्य, 2017)। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम- 2009 में बच्चों के अधिकार की बात करता है तथा इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2010 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू करने का यह आशय था कि प्राथमिक शिक्षा में उन विद्यार्थियों को शामिल करना जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं (भारत का राजपत्र, 2010)। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए अवरोध उत्पन्न करने में अनेक समस्याएं जिम्मेदार हैं जिनमें से कुछ समस्याओं की चर्चा निम्न की गयी है।

1.विद्यालय संरचना- शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की छुपी हुई शक्तियों का विकास किया जाता है लेकिन इन शक्ति के विकास के लिए केवल शिक्षक, पाठ्य-सामग्री, क्रियाकलापों पर ही निर्भर नहीं रह

सकते हैं इनके साथ विद्यालय संरचना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय संरचना में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था, विद्यालय की दीवार एवं छत का भी ध्यान रखना होता है। वर्तमान समय में एक मध्यम परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों की अवसंरचना बहुत ही खराब स्थिति में है। वहीं मध्यम से निम्न स्तर के परिवारों के पास केवल सरकारी विद्यालयों का ही सहारा रहता है (पाल, 2019)।

2.कक्षा में बच्चों की संख्या- कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी प्राथमिक शिक्षा की एक बड़ी समस्या है जहाँ गैर-सरकारी एवं सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में(कक्षा-1ए, 1बी, 1सी) बाँट दिया जाता है तथा यहाँ शिक्षकों की संख्या भी अधिक होती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहती है वहीं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक ही कक्षा में कई कक्षा-वर्ग के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाते हैं जिससे शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय अनेक कठिनाई होती है इसका मुख्य कारण विद्यालय में कक्षाओं एवं शिक्षकों की कमी है। इसके साथ ही सरकारी शिक्षक को पढ़ाने के अलावा अनेक प्रकार के विद्यालयी एवं सरकारी कार्यों को भी करना पड़ता है (पाल, 2019)।

3.बाल श्रम- 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है जिसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर में कुल मिलाकर 15.20 करोड़ बाल(6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के) मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है अर्थात् दुनिया भर में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है। पिछले कुछ सालों से बाल श्रमिकों की दर में कमी आई है। इसके बावजूद बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में भी लगाया जा रहा है- जैसे बंधुआ मजदूरी और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है, जैसे ईंट भट्टों पर काम करना, कपड़े तैयार करना, घरेलू कामकाज, खान-पान सेवाएं (जैसे चाय की दुकान पर) खेतीबाड़ी, मछली पालन और खानों में काम करना आदि। इसके अलावा भी बच्चों के शोषण होने का खतरा बना रहता है जिसमें यौन उत्पीड़न एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल है। बाल मजदूरी और शोषण के अनेक कारण हैं जिनमें गरीबी, सामाजिक मापदंड, किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी आदि शामिल है (यूनिसेफ, 2020)।

4.शिक्षा की गुणवत्ता- वर्तमान समय में शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी समस्या है तथा यह लगातार गिरती जा रही है। इसका मुख्य कारण शिक्षकों की कमी से है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होती है कहीं दो शिक्षक सम्पूर्ण विद्यालय का संचालन करता है तो कहीं एक ही शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वहन करता है। इससे विद्यालय संचालन एवं अध्ययन-अध्यापन में कठिनाई होती है। एक तरफ शिक्षक का कार्य एवं दूसरी तरफ विद्यालय संचालन का कार्य, शिक्षक के कार्य को कठिन बना देता है। जिससे शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।

5.रुचिकर पाठ्यवस्तु की कमी- प्राथमिक स्तर में प्रचलित विषयवस्तु विद्यार्थियों को सीखने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर पा रही है। इसका कारण पुरानी विषयवस्तु का प्रयोग करना है। इसमें किसी तरह के बदलाव को अभी तक

सुनिश्चित नहीं किया गया है जो एक बड़ी समस्या है। इसके कारण विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि नहीं लेते हैं उन्हें किताबें बोझ स्वरूप लगती हैं वे किताबों के पन्नों का प्रयोग केवल नाव व अन्य खेल सामग्री बनाने में करते हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

6.विधि- किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। शिक्षण विधि पठन-पाठन की प्रक्रिया को सरल बना देती है लेकिन प्राथमिक स्तर पर अभी भी पुरातन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। जो शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बना देती है जिससे विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभाग नहीं कर पता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

प्रश्न यह उठता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? क्या इन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है या शिक्षक की? इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा में नवीन नवाचरों का प्रयोग करना चाहिए। नवाचार से आशय कम से कम खर्च पर विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर शिक्षा में गुणवत्ता लाना है एवं शिक्षक-छात्र के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का सृजन एवं शिक्षा को रुचिकर एवं सरल बनाकर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार जैसे- छात्र प्रोफाइल, खेल-खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सरल अंग्रेजी माध्यम, कान्सैट मैपिंग एवं बाल संसद आदि हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन नवाचरों के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता? उत्तर होगा हाँ, किया जा सकता है-

1. सामान्य रूप से देखा जाए तो विद्यालय में अधिगम एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन शिक्षक के मार्ग दर्शन में किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल, योग्य नागरिक एवं समस्या समाधान कौशल का विकास करना है तो उन्हें स्वयं इन सभी गतिविधियों को करने का अवसर देना चाहिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त मंच बाल संसद है। यह विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल का विकास करता है जिससे विद्यार्थी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन स्वयं करते हैं। इससे विद्यार्थियों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति सक्रियता बनी रहती है एवं वह किसी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम होते हैं (अरविदों सोसाइटी, 2018)।

2. स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों का जीवन खेल कूद के लिए होता है। विद्यार्थियों की गतिविधियां उनके परिवेश एवं रुचि पर निर्भर करती हैं। लेकिन समय-समय पर हुए शैक्षिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों में अरुचि उत्पन्न कर देती है, साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जटिल विषयों के प्रति विद्यार्थी उदासीन हो जाते हैं जैसे- गणित एवं विज्ञान। यदि इन विषयों को खेल- खेल में पढ़ाया जाए तो वह इन विषय को सरलता से सीख एवं आत्मसात कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होगी तथा खेल विधि द्वारा शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर एवं सरल बनेगी (अग्निहोत्री एवं अन्य, 2014)।

3. विद्यार्थियों की अरुचि एवं पाठ्यवस्तु को समझने की अक्षमता को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में नवीनतम दृष्टिकोण को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अभिनय शिक्षण विधि इस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह विधि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। विद्यार्थी इस प्रक्रिया में केवल निष्क्रिय श्रोता

ही नहीं होता है बल्कि वह शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है जैसे- गणित के पाठ के समय विद्यार्थियों को दो वर्गों(बालक एवं बालिका) में बाँट कर बालकों को सम संख्या के क्रम में एवं बालिकाओं को विषम संख्या के क्रम में बैठाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को संख्याओं का ज्ञान आसानी से कराया जा सकता है एवं विषयवस्तु के प्रति विद्यार्थियों की रुचि भी बनी रहती है (मंगल एवं अन्य, 2015)।

4. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में अनेक पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसके विकास में कला एवं शिल्प महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कलात्मक विधियों में शामिल विद्यार्थियों की विचार करने की क्षमता अन्य विद्यार्थी की अपेक्षा अधिक होती है। कलात्मक अभिरुचि में भाग लेने से विद्यार्थियों के मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। इसमें अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान सरलता से कर लेते हैं। उनमें कई गुणों(विचारों का आदान-प्रदान, अनुशासन, आत्मसम्मान एवं व्यवस्थापन) का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों में विभिन्न दक्षताओं के विकास के लिए विद्यालय द्वारा कलात्मक गति-विधियों का आयोजन किया जाए (अरविदों सोसाइटी, 2018)।

5. विद्यार्थियों में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, कला, संस्कृति व साहित्य के प्रति रुचि एवं देश-विदेश की स्थिति से परिचित होने के लिए बाल अखबार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नवाचार के माध्यम में पठन एवं लेखन कौशल का विकास होता है। इस नवाचार के माध्यम से उन विद्यार्थियों को सहायता मिलती है जो पढ़ने-लिखने में कमजोर होते हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। दैनिक बाल अखबार में विद्यालय के दिन प्रति दिन की क्रियाओं का लेखा जोख तैयार किया जाता है तथा सप्ताह या महीने के किसी दिन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है (अरविदों सोसाइटी, 2018)।

6. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी कच्ची मिट्टी की तरह होता है तथा इस कच्ची मिट्टी को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का कार्य शिक्षक का होता है। शिक्षक के अथक प्रयास के द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण होता है। अतः शिक्षक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। जिससे विद्यार्थी को भविष्य निर्माण की रह मिल सके। यह कार्य केवल विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होंगे(चोईएवं अन्य, 2019)।

7. प्रत्येक अभिभावक को यह चिंता होती है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। शिक्षक भी इस समस्या से ग्रसित होते हैं कि उनके अथक प्रयास के बाद भी विद्यार्थी पाठ्यवस्तु को आत्मसात नहीं कर पाते। यह एक सामान्य सी समस्या है लेकिन यदि किसी पाठ्य को कहानी एवं चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी को पढ़ने- सीखने में आनंद की अनुभूति होगी। इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे बचपन में मिलता है जब हम लोग चाचा चौधरी एवं नागराज की कॉमिक्स पढ़ते थे। इस कॉमिक्स में अक्षरों के साथ-साथ चित्रों का भी समावेश था। इसे पढ़ने पर यह सरलता से याद हो जाती थी तथा इसका स्मरण लंबे समय तक रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे

इसे पढ़ने के साथ-साथ उसमें दिये गए चित्रों को देखते थे यह दो क्रियाएँ एक साथ हो रही हैं जिससे बच्चे इसे सरलता से समझ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय की पाठ्य-पुस्तकों में चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए (अरविदों सोसाइटी, 2018)।

8. ग्रामीण परिवेश में विद्यालय की व्यवस्था में सुधार है लेकिन इस सुधार के बावजूद ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों को विद्यालय तक ले जाने की है। विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन करा दिया जाए तब भी विद्यार्थियों का विद्यालय में अनुपस्थित रहने की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा अभिभावकों के अशिक्षित एवं कम पढ़े-लिखे होने के कारण वह विद्यालय आने में लज्जा महसूस करते हैं। इस समस्या का समाधान सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए विद्यालय में समय-समय पर जागरूकता संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन, अभिभावकों का सम्मान एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी अभिभावकों देना चाहिए। जिससे विद्यालय एवं समुदाय की खाँई को समाप्त किया जा सके।

9. विद्यालयों में बहुत सी ऐसी विषयवस्तु होती है जिसे आसानी से याद नहीं किया जा सकता है जैसे- विज्ञान। इसे पढ़ने के लिए कान्सैट मैपिक का प्रयोग किया जा सकता है। कान्सैट मैपिक का अर्थ जिसमें मुख्य या सांकेतिक शब्दों के माध्यम से वैचारिक आरेख चित्रित किया जाता है। यह विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठतम विधि है (बिर्बिली, 2006)। प्राथमिक शिक्षा में उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा कई उपयुक्त कदम उठाए गए हैं लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए हम केवल सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य पर ही हम निर्भर नहीं रह सकते हैं इसके लिए हमें स्वयं भी प्रयास करना होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न हो सकता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभिभावक के द्वारा सप्ताह में केवल एक दिन विद्यालय जाकर विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। इसकी सहायता से विद्यालय की यथा स्थिति पता चलेगी। इसके साथ ही प्रतिदिन 1 से 2 घण्टे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देकर उनकी समस्याओं की पहचान कर उसका समाधान शिक्षकों के माध्यम से किया जा सकता है एवं इसके माध्यम से सामूहिक सहभागिता का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर संचालित नवाचारों के माध्यम से बालकों में सहयोग, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, सद्-भावना, सहानुभूति, दूसरों के प्रति प्रेम एवं आदर की भावना, निःस्वार्थपरकता एवं अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। निष्कर्ष: विद्यालय में सामूहिक जीवन की सार्वधिक महत्वपूर्ण विशेषता बालकों के द्वारा स्वयं को विद्यालय का अभिन्न अंग समझने, विद्यालय के कार्यों एवं उद्देश्यों के साथ अपने कार्यों एवं उद्देश्य का समन्वय, सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए परिलक्षित होता है (गुप्ता एवं अन्य, 2014)

संदर्भ

- भारत का राजपत्र(2010). नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम-2009. नई दिल्ली.Pp.1-2 / लाल. बी. आर.(2016). भारतीय शिक्षा का विकास इतिहास एवं समस्याएँ. रस्तोगी पब्लिकेशन.Pp.395-400 / विकास पीडिया(2020). शिक्षा.<https://hi.vikaspedia.in/education>
यूनिसेफ(2020). बाल श्रम एवं शोषण. <https://www.unicef.org/india/hi/node/321#>
गुप्ता. एस. पी. एवं गुप्ता, ए.(2014). शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन व नियोजन. शारदा पुस्तक भवन.Pp.25-36 /

- मौर्य, दी. एव द्विवेदी. आर.(2017). भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था. बौद्धिक प्रकाशन.P.62 /
- पाल, एस.के.(2019). भारत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों एवं शिक्षा के आधार का अध्ययन. जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कूलरी रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन.5(16).Pp.237-243 /
- अग्निहोत्री, पी. एवं कुमार, पी.(2014). बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों का उनके आक्रमक व्यवहार का अध्ययन. प्राथमिक शिक्षक.1(38).Pp.63-76 /
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
- बिर्बिली, एम.(2006). मैयपिंग नॉलेज: कान्सैट मप्स इन एरली चाइल्डहूड एजुकेशन. एरिक.2(8).Pp.1-10 /
- अरविंदो सोसाइटी.(2018). शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार.1(3)1-47 /
- चोई, एन., कांग, एस., चो, एच.जे. एवं शेओ.जे.(2019). प्रोमोटिंग यंग चिल्ड्रेन्स इंटरैस्ट इन लर्निंग इंग्लिश इन ए.एफ.एल. कांटेक्ट: द रोल ऑफ मदर्स. एरिक.Pp-1-12 /
- मंगल, एस.के. एवं मंगल, यू.(2016). शिक्षा तकनीकी. पी०एच०ई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड.Pp.528-529 /
- शाला सारथी, (2021). जेरो इनवेस्टमेंट इनूवेशन्स फॉर एजुकेशन इनिशिएटिवेस. झारखण्ड. विडियो.
<https://www.youtube.com/watch?v=VRIOrA-eU1E&t=177s>